रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 2017/श्रावण 6, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 183
No. 286] DELHI, FRIDAY, JULY 28, 2017/SRAVANA 6, 1939 [N.C.T.D. No. 183

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

jktLo foHkkx

[dk;kZy; ¼jktLo½ ,oa eMyh; vk;qDr]

vf/klwpuk

दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

Lkfpo jktLo foHkkx }kjk ?kks"k.kk

Lk- **ए-डी-एम/एल-ए-सी/एस-डब्ल्यू/2015/921-927.**—जबकि सरकार को प्रतीत होता है कि सार्वजनिक उद्देश्य अर्थात् अवजल शोधन संयत्र के लिए गांव ताजपुर खुर्द ताल्लुक/उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) कापसहेड़ा जिला दक्षिण पश्चिम की **30** बीघा **06** बिस्वा भूमि की आवश्यकता है ।

और जबकि, गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना एस. ओ. 2740 दिनाँक 21 अक्तूबर 2014 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गांव ताजपुर खुर्द ताल्लुक /उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) कापसहेड़ा जिला दक्षिण पश्चिम की 30 बीघा 06 बिस्वा हैक्टेयर भूमि का भाग अधिग्रहण करने की घोषणा करते हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम सं.	सर्वेक्षण सं.	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के अन्तर्गत क्षेत्र (बीघा – बिस्वा)	हितधारी व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पूर्व	पश्चि.
1.	11//11 (4-0), 12/2 (2-10), 19 (4-16), 20	निजी	कृषि	30-6	1. युद्धबीर	रास्ता	एम.	रास्ता	रास्ता

	(4-16), 21 (4-12), 22 (4-16), 28 (0-4), 16//2 (4-12)				सिंह, पुत्र हरबीर सिंह 1/2 भाग 2. लखबीर सिंह, पुत्र हरबीर सिंह, 1/2 भाग दोनों निवासी-ई-139, साकेत, नई दिल्ली-110017	खसरा नः 137	जी. एफ. भूमि	खसरा नः 143	खसरा नः 164

o{k	
किस्म	संख्या
शीशम	तीन
नीम	एक
कीकर	एक

<kpk	
प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
कुआँ (गैरजारी) तथा कोठा	10 फुट x 10 फुट

यह घोषणा उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबन्धित हितधारी व्यक्तियों की आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा आवश्यक जांच के उपरांत की जा रही है। भूमि अधिग्रहण के कारण संभावित पुनः स्थापित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है, जिनके लिए पुनः स्थापन क्षेत्र की पहचान की गई है, उसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

गांव शून्य ताल्लुक /उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) शून्य जिला दक्षिण पश्चिम क्षेत्र शून्य (हैक्टेयर में)।

उक्त भूमि या उक्त भूमि के किसी विशेष भाग के नीचे पाई जाने वाली कोयला, आयरन स्टोन, स्लेट या अन्य खनिजों की खुदाई की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसमें खदानों और खनिजों का वह भाग शामिल नहीं है जिसको भूमि के अधिग्रहण के उद्देश्य हेतु परियोजना में निर्माण के किसी चरण के दौरान खोदने या निकालने या प्रयोग किए जाने की आवश्यकता पड़ती है ।

भूमि की योजना को भूमि अधिग्रहण समाहर्ता तथा भूमि अधिग्रहण शाखा (दक्षिण पश्चिम जिला), ओल्ड टर्मीनल टैक्स बिल्डिंग, कापसहेड़ा, नई दिल्ली –110037 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनःस्थापन स्कीम का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट (I) संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनीषा सक्सेना, सचिव (राजस्व) एवं मण्डलीय आयुक्त

परिशिष्ट- I पुर्नवास व पुनः स्थापना योजना (सभी प्रभावित परिवारों के पुर्नवास व पुनःस्थापना के हक के तत्वों के लिये) के लिये संक्षिप्त नमूना

योजना का नामःदिल्ली जल बोर्ड की अपशिष्ट जल उपचार संयत्र, गाँव ताजपुर खुर्द जिला दक्षिम पश्चिम, दिल्ली में स्थापना के लिये					
पुर्नवास व पुनः स्थापना का दावा करने वाले व्यक्तियों के नाम व उनके द्वारा किये गये दावों की प्रकृतिः जैसा क्रमाक 4 में है।					
प्रभावित परिवारों के पुर्नवास व पुनः स्थापना के हक के लिये दी गई समय सीमा- RFCTLARR ACT 2013 **की धारा 23 के अन्तर्गत अवार्ड उदघोशित करने की तिथि के 18 महीने के अन्तर्गत**					
दावेदार/प्रभावित परिवार के सदस्यो के नाम	आयु/जन्म तिथि	पिता/ पति का नाम	ब्यवसाय	पुर्नवास व पुनः स्थापना का अधिकार	टिप्पणी
श्री लखबीर सिंह श्री युद्धबीर सिंह	03/11/1983	स्व. हरबीर सिह स्व. हरबीर सिंह	भूमि मालिक है लेकिन किसान नही है। भूमि मालिक है लेकिन किसान नही है।	(i) विस्थापन के मामले मे रिहायसी मकान देने की ब्यवस्था	लागू नही क्यो कि कोई भी प्रभावित कुटुम्ब का विस्थापन नही हुआ है।
				(ii) भूमि का आवन्टन किया जाना	लागू नही होता क्यो कि यह सिचाई योजना नहीं है।
				(iii)विकसित भूमि देने का प्रस्ताव	लागू नही, क्यों कि भूमि का अधिग्रहण शहरीकरण के लिये नही है।
				(iv)वार्षिकी/नौकरी प्रदान करना विस्थापित परिवार	संबंधित सरकार ये सुनिश्चित करें कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान की जायेगी (a) प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को इसी योजना के अन्तर्गत अथवा ऐसे किसी अन्य योजना के अन्तर्गत जैसा आवश्यकता है नौकरी देनी चाहिए। उसको नौकरी के लिये आवश्यक क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण और कौशल विकास नौकरी के लिये व धनराशि अर्जित करने, जो कि किसी विशेष कानून के अन्तर्गत उस समय संचालित न्यूनतम निर्धारित मजदूरी से कम ना हो योग्य बनाना। (b) प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक बार 5 लाख रुपये का अनुदान (c) प्रभावित परिवार को 2000 रुपये प्रति महीने की दर से 20 साल तक अनयूटी प्रदान करना (जो कि वार्षिक मंहगाई भत्ता के अनुसार देय की जायेगी
				(v) प्रभावित परिवारो को जीवन निर्वाह हेतू 1 वर्ष तक निश्चित धन राशि सहायता प्रदान देना	लागू नही, क्यों कि प्रभावित परिवार का विस्थापन नही है।

				(vi) विस्थापित परिवार के पुनः स्थापना के लिये परिवहन का व्यय प्रदान करना	लागू नही, क्यों कि प्रभावित परिवार का विस्थापन नही है।
				(vii) पशुओ के लिये स्थान या छोटी दुकान की लागत	लागू नही है।
				(viii) किसी कलाकार, छोटे व्यापारियों व अन्य श्रेणी को एक बार अनुदान प्रदान करना	लागू नही क्योकि कोई भी खेती बाडी के अलावा व्यवसायिक,औधोगिक, संस्थानीय इमारत, प्रभावित क्षेत्र में अधिग्रहण नही की जा रही है।
				(ix) मछली पकडने का अधिकार	लागू नही है यह सिचाई या हाइडल परियोजना नहीं है।
				(x) पुनः स्थापना के लिये एक बार अनुदान प्रदान करना	प्रभावित परिवार कों एक मुश्त केवल रुपये 50,000/ दिये जायेंगे।
				(xi) स्टाम्प डयूटी व पंजाकरण शुल्क, यदि कोई है।	यह व्यय सम्बन्धित विभाग (दिल्ली जल बोर्ड) देगा।

REVENUE DEPARTMENT

[OFFICE OF THE SECRETARY (REVENUE)-CUM-DIVISIONAL COMMISSIONER]

NOTIFICATION

Delhi, the 27th July, 2017

DECLARATION BY SECRETARY, REVENUE DEPARTMENT

F. No. ADM/LAC/SW/2015/921-927.—Whereas it appears to the Government that a total of 30 Bigha 6 Biswa land is required in the Village Tajpur Khurd Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) Kapashera District South West Delhi for public purpose, namely Waste Water Treatment Plant.

And whereas in exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 19 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification S.O No. 2740 dated the 21st October, 2014, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to declare that a piece of land measuring 30 Bigha 6 Biswa is under acquisition for the above said project in the Village Tajpur Khurd Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) Kapashera District South West Delhi whose detailed description is as following:-

Sl. No.	Survey No.	Type of Title	Type of land	Area under acquisition (in hectare)	Name and address of person interested	Boundaries			
						N.	S.	E.	W.
1.	11//11(4-0), 12/2(2-10), 19(4-16), 20(4-16),	Private	Agricu lture	30-6	1.Yudhvir Singh S/o Harbir Singh, 1/2th Share 2. Lakhbir Singh,	Rasta no. 137	MGF land	Rasta Kh.no. 143	Rasta kh.no. 164

	21(4-12), 22(4-16), 28(0-4), 16//2(4-12)				S/o Harbir Singh 1/2th Share Both R/o E-139, Saket, New Delhi -110017				

Trees	
Variety	Number
Sheesham	3
Neem	1
Keekar	1

Structures	
Type	Plinth area
Kotha & Well(not working)	10x10

This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided u/s 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to land acquisition is Nil For whom resettlement area has been identified, whose brief description is as following:-

Village Nil Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) Nil District South West Area Nil (in hectares).

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Officer (SW) and DM (SW), GNCTD on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended as Appendix I.

Encl: as above

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANISHA SAXENA, Secy. (Revenue)-cum-Divisional Commissioner

Appendix – I Summary format for Rehabilitation and Resettlement Scheme (ELEMENTS OF REHABILITATION AND RESETTLEMENT ENTITLEMENTS FOR ALL THE AFFECTED FAMILIES)

Name of the Project: Setting up of WWTP by Delhi Jal Board in Tajpur khurd, South West District					
Name/Names of person interested in the land and the nature of their respective claim for rehabilitation and resettlement: As in Sl. No.4					
Time Limit for provisions of Rehabilitation and Resettlement entitlements given to the affected family: Within 18 Months from Date of Award u/s 23 of RFCTLARR ACT 2013					
Name of claimnants/affected family	**Age/DOB**	**Father's/ Husband Name**	**Occupation**	**Rehabilitation and resettlement entitlements**	**Remarks**
Sh. Lakhbir Singh Sh. Yudhvir Singh	03/11/1983	Lt. Harbir Singh Lt. Harbir Singh	Land Owners but not farmers Land Owners	i. Provision of housing units in case of displacement	NA as there is no displacement for the affected family
				ii. Land to be allotted	NA as it is not a irrigation project.
				iii. Offer for Developed Land	NA as land is not being acquired for urbanization purpose

			but not farmers	iv. Annuity/ Employment	The appropriate government shall ensure that the affected families are provided with following option:- a. Job may be given to at least one member per affected family in the project or arrange for a job in such other project as may be required and providing suitable training and skill development in the required field or make provision for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other law for the time being enforced. b. One time grant of 5 lakh rupess per affected family. c. The affected family will be provided with an annuity payment of Rupees 2000 per month per family for twenty years (this will be adjusted for inflation annually).
				v. Subsistence grant for displaced family for period of 01 year	NA as there is no displacement for the affected family.
				vi. Transportation cost for displaced family	NA as there is no displacement for the affected family.
				vii. Cattle shed/Petty shops cost	NA
				viii. One time grant to artisan, small traders and certain others	NA as land being acquired is not a non-agriculture land/commercial/Industrial/Institutional structure in the affected area
				ix. Fishing rights	NA as it is not a irrigation or hydel project
				x. One time resettlement allowance	Affected family shall be given one time grant of 50000/- Rupees only.
				xi. Stamp duty and registration fees if any	To be borne by the requiring department/Body (Delhi Jal Board).

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सचिव राजस्व विभाग द्वारा घोषणा

सं. ए-डी-एम/एल-ए-सी/एस-डब्ल्यू/2015/928-934.—जबकि सरकार को प्रतीत होता है कि सार्वजनिक उद्देश्य अर्थात् अवजल शोधन संयत्र के लिए गांव ककरौला ताल्लुक/उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) द्वारका जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि की आवश्यकता है ।

और जबकि, गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना एस. ओ. 2740 दिनाँक 21 अक्टूबर 2014 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गांव ककरौला ताल्लुक/उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) द्वारका जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण करने की घोषणा करते हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

Øe l-	lo{k.k l-	'kh"kd dk i-dkj	Hkfe dk i-dkj	vf/kxg.k d vUrxr {k= ¼ch?kk & fcLok½	fgr/kkjh 0;fDr dk uke ,o irk	lhek,i			
						उ.	द.	पूर्व	पश्चि.
1.	107//24(4-16), 25 min (4-13), 113//5min (1-0)	निजी	कृषि	10-9	1. हुकुम चन्द, सूरत सिंह दोनों सुपुत्र तुली राम 2/3 भाग 2. नरेश, विक्रम दोनों सुपुत्र इन्द्रसेन 1/3 भाग, सभी निवासी ककरौला गांव दक्षिण पश्चिमी दिल्ली जिला	नजफगढ नाला	गोयला डेरी	अन्य भूमि	कालोनी
2.	113//4min(1-6)	सरकारी	कृषि	1-6	दिल्ली विकास प्राधिकरण				

o{k	
किस्म	संख्या
शून्य	शून्य

<kpk	
प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
शून्य	शून्य

यह घोषणा उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबन्धित हितधारी व्यक्तियों की आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा आवश्यक जांच के उपरांत की जा रही है। भूमि अधिग्रहण के कारण संभावित पुनः स्थापित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है, जिनके लिए पुनः स्थापन क्षेत्र की पहचान की गई है, उसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

गांव <u>शून्य</u> ताल्लुक /उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) शून्य जिला दक्षिण पश्चिम क्षेत्र <u>शून्य</u> (हैक्टेयर में)।

उक्त भूमि या उक्त भूमि के किसी विशेष भाग के नीचे पाई जाने वाला कोयला, लौहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खुदाई की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसमें खदानों और खनिजों का वह भाग शामिल नहीं है जिसको भूमि के अधिग्रहण के उद्देश्य हेतु परियोजना में निर्माण के किसी चरण के दौरान खोदने या निकालने या प्रयोग किए जाने की आवश्यकता पड़ती है ।

भूमि के नक्शे को भूमि अधिग्रहण समाहर्ता तथा भूमि अधिग्रहण शाखा (दक्षिण पश्चिम जिला), ओल्ड टर्मीनल टैक्स बिल्डिंग, कापसहेड़ा, नई दिल्ली –110037 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनःस्थापन स्कीम का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट (I) में** संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनीषा सक्सेना, सचिव (राजस्व) एवं मण्डलीय आयुक्त

परिशिष्ट- I <u>संक्षिप्त नमूना व पुर्नवास व पुनः स्थापित योजना (सभी प्रभावित परिवारो के पुर्नवास व पुनःस्थापना के हक के तत्वों के लिये)</u>

योजना का नामःदिल्ली जल बोर्ड की अपशिष्ट जल उपचार संयत्र, गाँव ककरोला जिला दक्षिम पश्चिम, दिल्ली में स्थापना के लिये					
पुर्नवास व पुनः स्थापना का दावा करने वाले व्यक्तियों के नाम व उनके द्वारा किये गये दावों की प्रकृतिः जैसा क्रमाक 4 में है।					
प्रभावित परिवारों के पुर्नवास व पुनः स्थापना के हक के लिये दी गई समय सीमा- RFCTLARR ACT 2013 की धारा 23 के अन्तर्गत अवार्ड उदघोशित करने की तिथि के 18 महीने के अन्तर्गत					
प्रभावित परिवार के सदस्यो के नाम	आयु/जन्म तिथि	पिता/ पति का नाम	व्यवसाय	पुर्नवास व पुनः स्थापना का अधिकार	टिप्पणी
(ए) श्री सूरत सिंह	उपलब्ध नही है।	तुलीराम	भूमिघर	(i) विस्थापन के मामले मे रिहायसी मकान देने की व्यवस्था	लागू नही क्यो कि कोई भी प्रभावित कुटुम्ब का विस्थापन नही हुआ है।
श्री संदीप	उपलब्ध नही है।	धर्मदेव पुत्र श्रीसूरतसिंह	एम. एफ. कार्यकर्ता रेलवे स्टेशनमास्टर		
श्री सतीश	उपलब्ध नही है।	श्री सुरत सिंह	सी.एम. कार्यालय	(ii) भूमि का आवन्टन किया जाना	लागू नही होता क्यो कि यह सिचाई योजना नहीं है।
श्री विजेन्द्र	उपलब्ध नही है।	श्री सुरत सिंह	बी.एस.इ.एस.		
श्री ओमवत	उपलब्ध नही है।	श्री सुरत सिंह	कार्यालय		
श्री इशज्ञान	उपलब्ध नही है।	श्री सुरत सिंह	अध्यापक		
श्री राकेश	उपलब्ध नही है।	श्री सुरत सिंह	बेरोजगार	(iii) विकसित भूमि देने का प्रस्ताव	लागू नही, क्यों कि भूमि का अधिग्रहण शहरीकरण के लिये नही है।
श्री मंजीत	उपलब्ध नही है।	श्री सुरत सिंह	रेलवे में		
(ब) स्व श्री हुकमचन्द	उपलब्ध नही है।	श्री तूलीराम	मृतक		
श्रीमती भरपाई(पत्नी)	उपलब्ध नही है।	स्व हुकमचन्द	गृहणी		
रमेंश चन्द	उपलब्ध नही है।	स्व हुकमचन्द	सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी	(iv) वार्षिकी/नौकरी प्रदान करना विस्थापित परिवार	संबंधित सरकार ये सुनिश्चित करें कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान की जायेगी
श्री राजवीर सिंह	उपलब्ध नही है।	स्व हुकमचन्द	उपरोक्त		(a) प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को इसी योजना के अन्तर्गत अथवा ऐसे किसी अन्य योजना के अन्तर्गत जैसा आवश्यकता है नौकरी देनी चाहिए।
श्री अजीत सिहं	उपलब्ध नही है।	स्व हुकमचन्द	बी.एस.ई.एस.		
श्री सुरेन्द्र सिंह	उपलब्ध नही है।	स्व हुकमचन्द	कार्यालय में ईलेक्ट्रीशियन दिल्ली जल बोर्ड		
श्रीमती उमेश	उपलब्ध नही है।	स्व हुकमचन्द	गृहणी		
(सी) श्री ओमनरेश	25/10/1962	स्व इन्दर सिंह	बेरोजगार व		उसको नौकरी के लिये आवश्यक क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण और कौशल विकास नौकरी के लिये व धनराशि अर्जित करने, जो कि किसी विशेष कानून के अन्तर्गत उस समय संचालित न्यूनतम निर्धारित मजदूरी से कम ना हो योग्य बनाना।
(डी) श्री विक्रम सिंह	उपलब्ध नही है।	स्व इन्दर सिंह	विकलांग अध्यापक (एस.डी.एम.सी.)		

					(b) प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक बार 5 लाख रुपये का अनुदान (c) प्रभावित परिवार को 2000 रुपये प्रति महीने की दर से 20 साल तक अनयूटी प्रदान करना (जो कि वार्षिक मंहगाई भत्ता के अनुसार देय की जायेगी
				(v) प्रभावित परिवारों को जीवन निर्वाह हेतू 1 वर्ष तक निश्चित धन राशि सहायता प्रदान देना	लागू नही, क्यों कि प्रभावित परिवार का विस्थापन नहीं है।
				(vi) विस्थापित परिवार के पुनः स्थापना के लिये परिवहन के व्यय प्रदान करना	लागू नही, क्यों कि प्रभावित परिवार का विस्थापन नही हैं।
				(vii) पशुओं के लिये सथान या छोटी दुकान की लागत	लागू नहीं है।
				(viii) किसी कलाकार, छोटा व्यापारी व अन्य श्रेणी को एक बार अनुदान प्रदान करना	लागू नहीं क्योकि कोई भी खेती बाडी के अलावा व्यवसायिक,औद्योगिक, संस्थानीय इमारत, प्रभावित क्षेत्र में अधिग्रहण नही की जा रही है।
				(ix) मछली पकडने का अधिकार	लागू नहीं है यह सिचाई या हाइडल परियोजना नहीं है।
				(x) पुनः स्थापना के लिये एक बार अनुदान प्रदान करना	प्रभावित परिवारों कों एक मुश्त केवल रुपये 50,000/ दिये जायेंगे।
				(xi) स्टाम्प डयूटी व पंजाकरण शुल्क, यदि कोई है।	यह व्यय सम्बन्धित विभाग (दिल्ली जल बोर्ड) देगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2017

DECLARATION BY SECRETARY, REVENUE DEPARTMENT

F. No. ADM/LAC/SW/2015/928-934.— Whereas it appears to the Government that a total of 11 Bigha 15 Biswa land is required in the Village Kakrola Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) Dwarka District South West Delhi for public purpose, namely Waste Water Treatment Plant.

And whereas in exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 19 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification S.O No. 2740 dated the 21st October, 2014, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to declare that a piece of land measuring 11 Bigha 15 Biswa

Hectares is under acquisition for the above said project in the Village Kakrola Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) Dwarka District South West Delhi whose detailed description is as following:—

Sl. No.	Survey No.	Type of Title	Type of land	Area under acquisition (in Bigha-Biswa)	Name and address of person interested	Boundaries			
						N.	S.	E.	W.
1.	107//24(4-16), 25min(4-13), 113//5min(1-0)	Private	Agriculture	10-9	1.Hukum Chand, Surat Singh both S/o Tuli Ram 2/3 share 2. Om Naresh, Vikram, both s/o Inder Singh 1/3 share all residents of village Kakrola, District South West Delhi	Najafgarh Drain	Goyla Dairy	Other Land	Colony
2.	113//4min(1-6),	Government	Agriculture	1-6	DDA				

Trees	
Variety	Number
NIL	NIL

Structures	
Type	Plinth area
NIL	NIL

This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided u/s 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to land acquisition is Nil For whom resettlement area has been identified, whose brief description is as following:-

Village Nil Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) Nil District South West Area Nil (in hectares).

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector and LAC Branch (South-West District), Old Terminal Tax Building, Kapashera, New Delhi-110037, on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended as Appendix I.

Encl: as above

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MANISHA SAXENA, Secy. (Revenue)-cum-Divisional Commissioner

Appendix- I Summary format for Rehabilitation and Resettlement Scheme (ELEMENTS OF REHABILITATION AND RESETTLEMENT ENTITLEMENTS FOR ALL THE AFFECTED FAMILIES)

1	Name of the Project: Setting up of WWTP by Delhi Jal Board in Kakrola, South West District
2	Name/Names of person interested in the land and the nature of their respective claim for rehabilitation and resettlement: As in Sl. No.4
3	Time Limit for provisions of Rehabilitation and Resettlement entitlements given to the affected family: Within 18 Months from Date of Award u/s 23 of RFCTLARR ACT 2013

4	**Name of claimnants/affected family**	**Age/DOB**	**Father's/ Husband Name**	**Occupation**	**Rehabilitation and resettlement entitlements**	**Remarks**
	A.Sh. Surat Singh	Not available	Tuli Ram	Bhumidhar	i. Provision of housing units in case of displacement	NA as there is no displacement for the affected family
		Not available				
	Sandeep		Dharamdev S/o	MF Worker		
		Not available	Sh. Surat Singh			
		---do----				
	Satish	---do----	Sh. Surat Singh	Railway Station Master		
		---do----				
	Bijender	---do----	Sh. Surat Singh	CM Office		
	Omwat	---do----	Sh. Surat Singh	BSES Office		
	Ishgyan		Sh. Surat Singh	Teacher		
	Rakesh	---do----	Sh. Surat Singh	Unemployed	ii. Land to be allotted	NA as it is not a irrigation project.
	Manjeet		Sh. Surat Singh	in Railways		
		---do----			iii. Offer for Developed Land	NA as land is not being acquired for urbanization purpose
	B.Late Sh. Hukum Chand		Sh. Tuli Ram	Deceased		
	Bharpai(Wife)	---do----	Lt. Hukum Chand	Housewife	iv. Annuity/Employment	The appropriate Government shall ensure that the affected families are provided with following option:- a. Job may be given to atleast one member per affected family in the project or arrange for a job in such other project as may be required and providing suitable training and skill development in the required field or make provision for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other law for the time being enforced. b. One time grant of 5 lakh rupess per affected family. c. The affected family will be provided with an annuity payment of Rupees 2000 per month per family for twenty years (this will be adjusted for inflation annually).
			Lt. Hukum Chand			
	Ramesh Chand	---do----	As above	Retired Govt.		
			As above	Employed		
	Rajbir Singh		As above	As above		
	Ajit Singh		As above	BSES Office		
	Surender Singh	Not available		Electrician in DJB		
	Umesh			Housewife		
			Late Inder Singh			
	C. Om Naresh	25/10/1962		Unemployed & Differentially abled	(v) Subsistence grant for displaced family for period of 01 year	NA as there is no displacement for the affected family.
			Late Inder Singh		(vi) Transportation cost for displaced family	NA as there is no displacement for the affected family.
	D.Vikram Singh	Not available		Teacher in SDMC	(vii) Cattle shed/Petty shops cost	NA
					(viii) One time grant to artisan, small traders and certain others	NA as land being acquired is not a non-agriculture land/commercial/Industrial/Institutional structure in the affected area

					(ix) Fishing rights	NA as it is not a irrigation or hydel project
					(x) One time resettlement allowance	Affected family shall be given one time grant of 50000/- Rupees only.
					(xi) Stamp duty and registration fees if any	To be borne by the requiring department/Body (Delhi Jal Board).

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सचिव राजस्व विभाग द्वारा घोषणा

सं. ए.डी.एम/एल.ए.सी/एस.डब्ल्यू/2015/935-941.—जबकि सरकार को प्रतीत होता है कि सार्वजनिक उद्देश्य अर्थात् अवजल शोधन संयत्र के लिए गांव कैर. ताल्लुक/उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा–लागू) नजफगढ़ जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि की आवश्यकता है ।

और जबकि**,** गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना एस. ओ**.** 2740 दिनाँक 21 अक्टूबर 2014 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गांव कैर ताल्लुक/उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा–लागू) नजफगढ जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण करने की घोषणा करते हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

Øe l-	l oi{k.k l-	'kh"kd dk idkj	Hkfe dk idkj	vf/kxg.k d vUrxr {k= ¼ch?kk & fcLok½	fgr/kkjh 0;fDr dk uke ,o irk	l hek,i			
						उ.	द.	पूर्व	पश्चिम
1.	45//15 (4-16), 46//11 (4-16)	निजी	कृषि	9–12	1. भूपसिंह सुपुत्र कन्हैया 2. राजकुमार सुपुत्र राम मेहर 3. दीपक कुमार सुपुत्र अतर सिंह सभी निवासी कैर गांव दक्षिण पश्चिमी दिल्ली जिला	खसरा नं. 45//6 एवं 46//10	खसरा नं. 46//20 एवं 45//16	रास्ता	खसरा नं. 45//14

वृक्ष	
किस्म	संख्या
जाटी	1

ढांचा	
प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
शून्य	शून्य

यह घोषणा उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबन्धित हितधारी व्यक्तियों की आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा आवश्यक जांच के उपरांत की जा रही है। भूमि अधिग्रहण के कारण संभावित पुनः स्थापित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है, जिनके लिए पुनः स्थापन क्षेत्र की पहचान की गई है, उसका विवरण निम्न प्रकार है:–

गांव शून्य ताल्लुक /उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) शून्य जिला दक्षिण पश्चिम क्षेत्र शून्य (हैक्टेयर में)।

उक्त भूमि या उक्त भूमि के किसी विशेष भाग के नीचे पाई जाने वाला कोयला, लौहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खुदाई की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसमें खदानों और खनिजों का वह भाग शामिल नहीं है जिसको भूमि के अधिग्रहण के उद्देश्य हेतु परियोजना में निर्माण के किसी चरण के दौरान खोदने या निकालने या प्रयोग किए जाने की आवश्यकता पड़ती है ।

भूमि के नक्शे को भूमि अधिग्रहण समाहर्ता तथा भूमि अधिग्रहण शाखा (दक्षिण पश्चिम जिला), ओल्ड टर्मीनल टैक्स बिल्डिंग, कापसहेड़ा, नई दिल्ली –110037 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनःस्थापन स्कीम का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट (I) मे संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनीषा सक्सेना, सचिव (राजस्व) एवं मण्डलीय आयुक्त

परिशिष्ट-I संक्षिप्त नमूना व पुनर्वास व पुनः स्थापित योजना (सभी प्रभावित परिवारो के पुनर्वास व पुनःस्थापन के हक के तत्वों के लिये)

योजना का नामःदिल्ली जल बोर्ड की वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, गाँव कैर जिला साउथ वेस्ट, दिल्ली में स्थापना के लिये					
पुनर्वास व पुनः स्थापना का दावा करने वाले व्यक्तियों के नाम व उनके द्वारा किये गये दावों की प्राकृतिः जैसा क्रमाक 4 में है।					
प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व पुनः स्थापना के हक के लिये दी गई समय सीमा- RFCTLARR ACT 2013 की धारा 23 के अन्तर्गत अवार्ड उदघोशित करने की तिथि के 18 महीने के अन्तर्गत					
प्रभावित परिवार के सदस्यो के नाम	आयु/जन्म तिथि	पिता/ पति का नाम	व्यवसाय	पुनर्वास व पुनः स्थापना का अधिकार	टिप्पणी
श्री भूप सिंह श्री राज कुमार श्री दीपक कुमार		कन्हैया लाल राम मेहर अत्तर सिंह	..... बस कंडेक्टर बस कंडेक्टर	(i) विस्थापन के मामले मे रिहायसी मकान देने की व्यवस्था (ii) भूमि का आवन्टन किया जाना (iii) विकसित भूमि देने का प्रस्ताव (iv) वार्षिकी/नौकरी प्रदान करना	लागू नही क्यो कि कोई भी प्रभावित नही है। प्रभावित परिवार का विस्थापन नही हुआ है। क्यो कि यह सिचाई योजना नहीं है। लागू नही, क्यों कि भूमि का अधिग्रहण शहरीकरण के लिये नही है। संबंधित सरकार ये सुनिश्चित करें कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विक्लप प्रदान की जायेगी (a) प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को इसी योजना के अन्तर्गत अथवा ऐसे किसी अन्य योजना के अन्तर्गत जैसा आवश्यकता है। उसको नौकरी के लिये उचित प्रशिक्षण और कौशल निवास क्षेत्र में नौकरी के लिये व धनराशि अर्जित

					करने, जो कि किसी विशेष कानून के अन्तर्गत उस समय संचालित न्यूनतम निर्धारित मजदूरी से कम ना हो योग्य बनाना। (b) प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक बार 5 लाख रुपये का अनुदान (c) प्रभावित परिवार को 2000 रुपये प्रति महीने की दर से 20 साल तक अनयूटी प्रदान करना (जो कि वार्षिक मंहगाई भत्ता के अनुसार देय की जायेगी
				(v) को निश्चित धन राश की 1 वर्ष तक सहायता प्रदान देना	लागू नही, क्यों कि प्रभावित परिवार का विस्थापन नही है।
				(vi) विस्थापित परिवार के पुनः स्थापना के लिये परिवहन के व्यय प्रदान करना	लागू नही, क्यों कि प्रभावित परिवार का विस्थापन नही है।
				(vii) पशुओ के लिये सथान या छोटी दुकान की लागत	लागू नही है।
				(viii) किसी कलाकार, छोटा व्यापारि व अन्य श्रेणी को एक बार अनुदान प्रदान करना (ix) मछली पकडने का अधिकार	लागू नही क्योकि कोई भी खेती बाडी के अलावा व्यवसायिक,औधोगिक, संस्थानीय इमारत, प्रभावित क्षेत्र में अधिग्रहण नही की जा रही है। लागू नही है यह सिचाई या हाइडल परियोजना नहीं है।
				x) पुनः स्थापना के लिये एक बार अनुदान प्रदान करना	प्रभावित परिवार कों एक मुश्त केवल रुपये 50,000/ दिये जायेंगे।
				(xi) स्टाम्प डयूटी व पंजाकरण शुल्क, यदि कोई है।	यह व्यय सम्बन्धित विभाग (दिल्ली जल बोर्ड) देगा।

NOTIFICATION

Delhi, the 27th July, 2017

DECLARATION BY SECRETARY, REVENUE, DEPARTMENT

F. No. ADM/LAC/SW/2015/935-941.—Whereas it appears to the Government that a total of **9 Bigha 12 Biswa** land is required in the Village **Kair** Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) **Najafgarh** District South West Delhi for public purpose, namely **Waste Water Treatment Plant.**

And whereas in exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 19 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification S.O No. 2740 dated the 21st October, 2014, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to declare that a piece of land measuring **9 Bigha 12 Biswa** is under acquisition for the above said project in the Village **Kair** Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) **Najafgarh** District South West Delhi whose detailed description is as following:—

Sl. No.	Survey No.	Type of Title	Type of land	Area under acquisition (in Bigha-Biswa)	Name and address of person interested	Boundaries			
						N.	S.	E.	W.
1.	45//15(4-16), 46//11(4-16)	Private	Agriculture	9-12	1. Bhoop Singh S/o Kanhaiya Lal,	Kh.no 45//6 &	Kh.no46//20 & 45//16	Rasta	Kh.no. 45//14

					2. Raj Kumar S/o Ram Mehar, 3. Deepak Kumar S/o Attar Singh all resident of village Kair, District South West Delhi	46//10			

Trees	
Variety	Number
Jhatti	1

Structures	
Type	Plinth area
Nil	Nil

This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided u/s 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to land acquisition is **Nil** For whom resettlement area has been identified, whose brief description is as following:-

Village **Nil** Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) **Nil** District South West Area **Nil** (in hectares).

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector and LAC Branch (South-West District), Old Terminal Tax Building, Kapashera, New Delhi-110037, on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended as Appendix I.

Encl: as above

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

MANISHA SAXENA, Secy. (Revenue)-cum-Divisional Commissioner

Appendix- I Summary format for Rehabilitation and Resettlement Scheme (ELEMENTS OF REHABILITATION AND RESETTLEMENT ENTITLEMENTS FOR ALL THE AFFECTED FAMILIES)

1.	Name of the Project: Setting up of WWTP by Delhi Jal Board in Kair, South West District					
2.	Name/Names of person interested in the land and the nature of their respective claim for rehabilitation and resettlement: As in Sl. No.4					
3.	Time Limit for provisions of Rehabilitation and Resettlement entitlements given to the affected family: Within 18 Months from Date of Award u/s 23 of RFCTLARR ACT 2013					
4.	**Name of claimnants/affected family**	**Age/DOB**	**Father's/Husband Name**	**Occupation**	**Rehabilitation and resettlement entitlements**	**Remarks**
	Sh. Bhoop Singh		Kanhaiya Lal	----------	i. Provision of housing units in case of displacement	NA as there is no displacement for the affected family
	Sh. Raj Kumar		Ram Mehar	Cluster Bus Conductor	ii. Land to be allotted	NA as it is not a irrigation project.
					iii. Offer for Developed Land	NA as land is not being acquired for urbanization purpose
	Sh. Deepak Kumar		Attar Singh	Cluster Bus Conductor	iv. Annuity/Employment	The appropriate government shall ensure that the affected families are provided with following option:- a. Job may be given to at least one member per affected family in the project or arrange for a job in such other project as may be required and providing suitable training and skill development in the required field or make provision for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other

						law for the time being enforced. b. One time grant of 5 lakh rupess per affected family. c. The affected family will be provided with an annuity payment of Rupees 2000 per month per family for twenty years (this will be adjusted for inflation annually).
					v. Subsistence grant for displaced family for period of 01 year	NA as there is no displacement for the affected family.
					vi. Transportation cost for displaced family	NA as there is no displacement for the affected family.
					vii. Cattle shed/Petty shops cost	NA
					viii. One time grant to artisan, small traders and certain others	NA as land being acquired is not a non-agriculture land/commercial/Industrial/Institutional structure in the affected area
					ix. Fishing rights	NA as it is not a irrigation or hydel project
					x. One time resettlement allowance	Affected family shall be given one time grant of 50000/- Rupees only.
					xi. Stamp duty and registration fees if any	To be borne by the requiring department/Body (Delhi Jal Board).

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सचिव राजस्व विभाग द्वारा घोषणा

सं. ए.डी.एम/एल.ए.सी/एस.डब्ल्यू/2015/942-948.—जबकि सरकार को प्रतीत होता है कि सार्वजनिक उद्देश्य अर्थात् जल पंम्पिंग स्टेशन के लिए गांव बिजवासन् ताल्लुक/उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) कापसहेड़ा जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि की आवश्यकता है ।

और जबकि, गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना एस. ओ. 2740 दिनाँक 21 अक्टूबर 2014 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गांव बिजवासन ताल्लुक/उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) कापसहेड़ा जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण करने की घोषणा करते हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

Øe l-	lo{k.k l-	'kh"kd dk idkj	Hkfe dk idkj	vf/kxg.k d vUrxr {k= ¼ch?kk & fcLok½	fgr/kkjh 0;fDr dk uke ,o irk	lhek,			
						उ.	द.	पूर्व	पश्चिम
1.	282 min (2-11)	निजी	कृषि	2-11	1. श्रीमती पूनम रानी सिंह पत्नी परमजीत 1/15 भाग 2.श्रीमती रेनू राणा पत्नी सत्यप्रकाश राणा 4/45 भाग 3. श्री राजबीर सिंह गोयल सुपुत्र प्रभुदयाल 1/30 भाग मकान नं.	गांव फिरनी	खसरा नं. 10	खसरा नं. 8	खसरा नं. 282 का शेष भाग

					21, पॉकेट एफ–17, सैक्टर–8, रोहिणी 4.राकेश यादव सुपुत्र कंवर सिंह 1/30 भाग, फलैट नं. 93, अम्बा एन्कलेव, सैक्टर–9, रोहिणी। 5.सतीश राणा सुपुत्र स्वर्गीय बलवान सिंह 1/90 भाग 6.नरेश राणा सुपुत्र स्वर्गीय बलवान सिंह 1/90 भाग 7.भतेरी पत्नी स्वर्गीय बलवान सिंह, 2/45 भाग 8. बलवान सिंह उर्फ भगवाना सुपुत्र लेखी 7/15 भाग 9. महीपाल राणा सुपुत्र हरिप्रकाश राणा 1/90 भाग 10.जीतेन्द्र राणा सुपुत्र नन्दकिशोर 1/90 भाग 11. चन्दर सुपुत्र राजकरण 1/9 भाग 12. रमेश कुमार सुपुत्र परमानन्द 1/54 भाग 13.ईश्वर प्रकाश सुपुत्र परमानन्द 1/54 भाग 14. हंसराज सिंह सुपुत्र परमानन्द 1/54 भाग 15. गुलाब सिंह सुपुत्र परमानन्द 1/54 भाग 16. दर्शना पत्नी सतीश कुमार पुत्री परमानन्द 1/54 भाग 17. उर्मिला पत्नी शिव कुमार पुत्री परमानन्द 1/54 भाग, सभी निवासी बिजवासन गांव दक्षिण पश्चिमी दिल्ली जिला				

o{k	
किस्म	संख्या
नीम	4
शहतूत	3
पिलखन	1
पीपल	1
बेरी	35

<kpk	
प्रकारः	कुर्सी क्षेत्रफल
शून्य	शून्य

यह घोषणा उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबन्धित हितधारी व्यक्तियों की आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा आवश्यक जांच के उपरांत की जा रही है। भूमि अधिग्रहण के कारण संभावित पुनः स्थापित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है, जिनके लिए पुनः स्थापन क्षेत्र की पहचान की गई है, उसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

गांव शून्य ताल्लुक /उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) शून्य जिला दक्षिण पश्चिम क्षेत्र शून्य (हैक्टेयर में) ।

उक्त भूमि या उक्त भूमि के किसी विशेष भाग के नीचे पाई जाने वाला कोयला, लौहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खुदाई की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसमें खदानों और खनिजों का वह भाग शामिल नहीं है जिसको भूमि के अधिग्रहण के उद्देश्य हेतु परियोजना में निर्माण के किसी चरण के दौरान खोदने या निकालने या प्रयोग किए जाने की आवश्यकता पड़ती है।

भूमि के नक्शे को भूमि अधिग्रहण समाहर्ता तथा भूमि अधिग्रहण शाखा (दक्षिण पश्चिम जिला), ओल्ड टर्मीनल टैक्स बिल्डिंग, कापसहेड़ा, नई दिल्ली –110037 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनःस्थापन स्कीम का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट (I)** मे संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनीषा सक्सेना, सचिव (राजस्व) एवं मण्डलीय आयुक्त

परिशिष्ट-I पुनर्वास तथा पुनस्थापन स्कीम के लिये संक्षिप्त प्रारूप (पुनर्वास तथा पुनस्थापन के सिद्धान्त समस्त प्रभावित परिवारों हेतु पात्रता)

1	परियोजना का नामः बिजवासन, दक्षिण पश्चिम जिला में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की स्थापना					
2	भूमि में हितधारी व्यक्ति का नाम तथा पुनर्वास तथा पुनस्थापन के लिये उनके दावे का स्वरूपः क्रम संख्या 4 के अनुसार					
3	प्रभावित परिवारों को दी गई पात्रता पुनर्वास तथा पुनस्थापन के प्रावधानों के लिये समय सीमाः आरएफसीटीएलंएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 23 के अन्तर्गत अवार्ड की तिथि से 18 माह के भीतर					
4	nkonkj@iHkkfor ifjokj dk uke	vk;@tUe frfFk	firk@ifr dk uke	0;olk;	iuokl rFkk iuLFkkiu	vH;fDr
1.	श्रीमती पुनम रानी सिंह		1 श्री परमजीत		1. विस्थापन के मामले में हाउसिंग युनिट का प्रावधान	लागू नही क्यो कि कोई भी प्रभावित नही है।
2.	श्री रेनू राणा पत्नी		2 सत्यप्रकाश राणा		2. आवंटित की जाने वाली भूमि	लागू नही क्यो कि यह सिचाई योजना नहीं है।
3.	श्री राजबीर सिंह गोयल		3 श्री प्रभु दयाल		3. विकसित भूमि के लिये ऑफर	लागू नही, क्यों कि भूमि का अधिग्रहण शहरीकरण के लिये नही है।
4.	राकेश यादव		4 कनवर सिंह		4. भृति/रोजगार	सक्षम सरकार सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों को
5.	सतीश राणा		5 स्वर्गीय बलवान सिंह			
6.	नरेश राणा		6 स्वर्गीय बलवान सिंह			

7.	भतेरी		7 स्वर्गीय बलवान सिंह			निम्नलिखित विकल्प प्रदान किये जायें:– (क) प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को परियोजना में नौकरी दी जाए या यथापेक्षित अन्य परियोजनाओं में नौकरी की व्यवस्था की जा सकती है तथा संबंधित क्षेत्र में यथा योग्य प्रशिक्षण तथा कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए या ऐसे रोजगार का उपबंध किया जाए जिसमें तत्समय लागू किसी भी कानून में दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी प्राप्त की जा सके। (ख) प्रत्येक संभावित परिवार को 5 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि (ग) प्रत्येक प्रभावित परिवार को 2000/–रुपये प्रतिमासप्रति परिवार को बीस वर्ष तक वार्षिक भूति का भुगतान किया जाये (यह प्रतिवर्ष मंहगाई के साथ समायोजित होगा।)
8.	भगवान सिंह अलियास भगवाना		8 लेखी			
9.	महीपाल राणा		9 हरी प्रकाश राणा			
10.	जितेन्द्र राणा		10 नन्द किशोर			
11.	चन्दर		11 राज करण	किसान		
12.	रमेश कुमार		12 परमानन्द			
13.	ईश्वर प्रकाश		13 परमानन्द			
14.	हंसराज सिंह		14 परमानन्द			
15.	गुलाब सिंह परमानन्द		15 परमानन्द	सरकारी विभाग में संविदा आधार पर कार्यरत		
16.	दर्शना		16 सतीश कुमार			
17.	उर्मिला		17 परमानन्द		5. विस्थापित परिवार को निश्चित धन राशि की 1 वर्ष तक सहायता प्रदान देना	लागू नही, क्यों कि प्रभावित परिवार का विस्थापन नही है।
					6. विस्तापित परिवार के पुनः स्थापना के लिये परिवहन के व्यय प्रदान करना	लागू नही, क्यों कि प्रभावित परिवार का विस्थापन नही है।
					7. पशुओ के लिये स्थान या छोटी दुकान की	लागू नहीं

					लागत	
					8. किसी कलाकार, छोटा व्यापारि व अन्य श्रेणी को एक बार अनुदान प्रदान करना	लागू नहीं प्रभावित क्षेत्र मे अधिग्रहण की जा रही भूमि अकृषिकृत भूमि/ वाणिज्यक/ औद्योगिक/ सस्थानिक ढांचा नही है।
					9. मछली पकडने का अधिकार	लागू नही क्योकि यह सिचाई योजना नहीं है।
					10. पुनः स्थापना के लिये एक बार अनुदान प्रदान करना	प्रभावित परिवार को एक मुश्त 50000/–रुपये मात्र अनुदान दिया जायेगा।
					11. स्टाम्प डयूटी व पंजीकरण शुल्क, यदि कोई है।	अपेक्षित विभाग/निकाय (दिल्ली जल बोर्ड) द्वारा देय होगी।

NOTIFICATION

Delhi, the 27th July, 2017

DECLARATION BY SECRETARY, REVENUE DEPARTMENT

F. No. ADM/LAC/SW/2015/942-948.—Whereas it appears to the Government that a total of **2 Bigha 11 Biswa** land is required in the Village **Bijwasan** Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) **Kapashera** District South West Delhi for public purpose, namely **Water Pumping Station.**

And whereas in exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 19 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification S.O No. 2740 dated the 21st October, 2014, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to declare that a piece of land measuring **2 Bigha 11 Biswa** is under acquisition for the above said project in the Village **Bijwasan** Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) **Kapashera** District South West Delhi whose detailed description is as following:—

Sl. No.	Survey No.	Type of Title	Type of land	Area under acquisition (in Bigha-Biswa)	Name and address of person interested	Boundaries			
						N.	S.	E.	W.

1.	282min (2-11)	Private	Agriculture	2-11	1 Smt. Poonam Rani Singh W/o Paramjit 1/15 Share 2 Smt. Renu Rana W/o Satprakash Rana 4/45 Share 3 Sh. Rajbir Singh Goyal S/o Prabhu Dayal 1/30 Share H.no. 21, pkt f-17, sec-8, Rohini 4 Rakesh Yadav S/o Kanwar Singh 1/30 Share Flat No. 93, Amba Enclave, Sec-9, Rohini 5 Satish Rana S/o Late Balwan Singh 1/90 Share 6 Naresh Rana S/o Late Balwan Singh 1/90 Share 7 Bhateri W/o Late Balwan Singh 2/45 Share 8 Bhagwan Singh alias Bhagwana S/o Lakhi 7/15 Share 9 Mahipal Rana S/o Hari Prakash Rana 1/90 Share 10 Jitender Rana S/o Nand Kishore 1/90 Share 11 Chander S/o Raj Karan 1/9 Share 12 Ramesh Kumar S/o Parmanand 1/54 Share 13 Ishwar Prakash S/o Parmanand 1/54 Share 14 Hansraj Singh S/o Parmanand 1/54 Share 15 Gulab Singh S/o Parmanand 1/54 Share 16 Darshana W/o Satish Kumar D/o Parmanand 1/54 Share 17 Urmila W/o Shiv Kumar D/o Parmanand 1/54 Share all resident of village Bijwasan, District South west Delhi	Village Phirni	Kh. No. 10	Kh. No. 8	Remaining part of Kh. No. 282

Trees	
Variety	Number
Neem	4
Malberry	3
Pilkhan	1
Pipal	1
Beri	35

Structures	
Type	Plinth area
Nil	Nil

This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided u/s 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to land acquisition is **Nil** For whom resettlement area has been identified, whose brief description is as following:-

Village **Nil** Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) **Nil** District South West Area **Nil** (in hectares).

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector and LAC Branch (South-West District), Old Terminal Tax Building, Kapashera, New Delhi-110037, on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended as Appendix I.

Encl: as above

By Order and in the Name of the Lt. Governor of

the National Capital Territory of Delhi,

MANISHA SAXENA, Secy. (Revenue)-cum-Divisional Commissioner

Appendix- I Summary format for Rehabilitation and Resettlement Scheme (ELEMENTS OF REHABILITATION AND RESETTLEMENT ENTITLEMENTS FOR ALL THE AFFECTED FAMILIES)

1.	Name of the Project: Setting up of WWTP by Delhi Jal Board in Bijwasan, South West District					
2.	Name/Names of person interested in the land and the nature of their respective claim for rehabilitation and resettlement: As in Sl. No.4					
3.	Time Limit for provisions of Rehabilitation and Resettlement entitlements given to the affected family: Within 18 Months from Date of Award u/s 23 of RFCTLARR ACT 2013					
4.	**Name of claimnants/ affected family**	**Age/ DOB**	**Father's/Husband Name**	**Occupation**	**Rehabilitation and resettlement entitlements**	**Remaks**
	1. Smt. Poonam Rani Singh 2. Smt. Renu Rana 3. Sh. Rajbir Singh Goyal 4. Rakesh Yadav 5. Satish Rana 6. Naresh Rana 7. Bhateri 8. Bhagwan Singh alias Bhagwana 9. Mahipal Rana 10. Jitender Rana 11. Chander 12. Ramesh Kumar 13. Ishwar Prakash 14. Hansraj Singh 15. Gulab Singh 16. Darshana 17. Urmila		1 Paramjit 2 Satprakash Rana 3 Prabhu Dayal, 4 Kanwar Singh, 5 Late Balwan Singh 6 Late Balwan Singh 7 Late Balwan Singh 8 Lakhi 9 Hari Prakash Rana 10 Nand Kishore 11Raj Karan 12 Parmanand 13 Parmanand 14 Parmanand 15 Parmanand 16 Satish Kumar 17 Parmanand	(1)---------- (2)---- (3)---------- (4) ---------- (5)---------- (6)---------- (7)---------- (8) ---------- (9)---------- (10)--------- (11) Farmer (12) (13)-------- (14)--------- (15) Contractual in Govt. Dept. (16)-------- (17)----------	i. Provision of housing units in case of displacement	NA as there is no displacement for the affected family
					ii. Land to be allotted	NA as it is not a irrigation project.
					iii. Offer for Developed Land	NA as land is not being acquired for urbanization purpose
					iv. Annuity/ Employment	The appropriate government shall ensure that the affected families are provided with following option:- a. Job may be given to at least one member per affected family in the project or arrange for a job in such other project as may be required and providing suitable training and skill development in the required field or make provision for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other law for the time being enforced. b. One time grant of 5 lakh rupess per

						affected family. c. The affected family will be provided with an annuity payment of Rupees 2000 per month per family for twenty years (this will be adjusted for inflation annually).
					v. Subsistence grant for displaced family for period of 01 year	NA as there is no displacement for the affected family.
					vi. Transportation cost for displaced family	NA as there is no displacement for the affected family.
					vii. Cattle shed/Petty shops cost	NA
					viii. One time grant to artisan, small traders and certain others	NA as land being acquired is not a non-agriculture land/ commercial/ Industrial/Institutional structure in the affected area
					ix. Fishing rights	NA as it is not a irrigation or hydel project
					x. One time resettlement allowance	Affected family shall be given one time grant of 50000/- Rupees only.
					xi. Stamp duty and registration fees if any	To be borne by the requiring department/ Body (Delhi Jal Board).

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सचिव राजस्व विभाग द्वारा घोषणा

सं. ए-डी-एम/एल-ए-सी/एस-डब्ल्यू/2015/949-955.–जबकि सरकार को प्रतीत होता है कि सार्वजनिक उद्देश्य अर्थात् अवजल शोधन संयत्र के लिए गांव काजीपुर ताल्लुक/उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) नजफगढ़ जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि की आवश्यकता है ।

और जबकि, गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना एस. ओ. 2740 दिनाँक 21 अक्टूबर 2014 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनः स्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गांव काजीपुर ताल्लुक /उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) नजफगढ जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण करने की घोषणा करते हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

Øe l-	lo{k.k l-	'kh"kd dk idkj	Hkfe dk idkj	vf/kxg.k dk vUrxr {k= ¼ch?kk & fcLok½	fgr/kkjh 0;fDr dk uke ,o irk	lhek,			
						उ.	द.	पूर्व	पशि.
1.	16//3 (4-16)	निजी	कृषि	4-16	1. राज सिंह सुपुत्र दया नन्द 2.बिजेन्द्र सिंह सुपुत्र दया नन्द 3. छितरपाल सुपुत्र दया नन्द 4. कविता सुपुत्री दया नन्द 5. अनिता सुपुत्री दया नन्द सभी निवासी काजीपुर गांव दक्षिण पश्चिमी दिल्ली जिला	खसरा नं. 11//23	खसरा न. 16//8 गांव सभा	खसरा नं. 16//4	रोड़

o{k	
किस्म	संख्या

<kpk	
प्रकारः कोठा	कुर्सी क्षेत्रफल 10 फुट x 10 फुट

शहतूत	1		
नीम	2		

यह घोषणा उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबन्धित हितधारी व्यक्तियों की आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा आवश्यक जांच के उपरांत की जा रही है। भूमि अधिग्रहण के कारण संभावित पुनः स्थापित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है, जिनके लिए पुनः स्थापन क्षेत्र की पहचान की गई है, उसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

गांव शून्य ताल्लुक /उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) शून्य जिला दक्षिण पश्चिम क्षेत्र शून्य (हैक्टेयर में)।

उक्त भूमि या उक्त भूमि के किसी विशेष भाग के नीचे पाई जाने वाला कोयला, लौहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खुदाई की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसमें खदानों और खनिजों का वह भाग शामिल नहीं है जिसको भूमि के अधिग्रहण के उद्देश्य हेतु परियोजना में निर्माण के किसी चरण के दौरान खोदने या निकालने या प्रयोग किए जाने की आवश्यकता पड़ती है ।

भूमि के नक्शे को भूमि अधिग्रहण समाहर्ता तथा भूमि अधिग्रहण शाखा (दक्षिण पश्चिम जिला), ओल्ड टर्मीनल टैक्स बिल्डिंग, कापसहेड़ा, नई दिल्ली –110037 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनःस्थापन स्कीम का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट **(I)** मे संलग्न है।

I;yXu ¼ उपरोक्तानुसार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनीषा सक्सेना, सचिव (राजस्व) एवं मण्डलीय आयुक्त

परिशिष्ट (I) पुर्नवास व पुनः स्थापित योजना (सभी प्रभावित परिवारो के पुर्नवास व पुनःस्थापन के हक के तत्वों के लिये) का सक्षिप्त नमूना

<table>
<tr><td colspan="6">योजना का नामःदिल्ली जल बोर्ड की अपशिष्ट जल उपचार सयंत्र, गाँव काजीपुर जिला दक्षिण पश्चिम, दिल्ली में स्थारना के लिये</td></tr>
<tr><td colspan="6">पुर्नवास व पुनः स्थापना का दावा करने वाले व्यक्तियों के नाम व उनके द्वारा किये गये दावा की प्रकृतिः जैसा क्रमाक 4 में है।</td></tr>
<tr><td colspan="6">प्रभावित परिवारों के पुर्नवास व पुनः स्थापना के हक के लिये दी गई समय सीमा- RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 23 के अन्तर्गत अवार्ड उदघोशित करने की तिथि के 18 महीने के अन्तर्गत</td></tr>
<tr><td>प्रभावित परिवार के सदस्यो के नाम</td><td>आयु/जन्म तिथि</td><td>पिता/ पति का नाम</td><td>ब्यवसाय</td><td>पुर्नवास व पुन्तः स्थापना का अधिकार</td><td>टिप्पणी</td></tr>
<tr><td>श्री राज सिंह
अनीता
कविता
विजेन्द्र
चित्ररपाल</td><td>01/05/1962
1961
1972
1977
11/07/1982</td><td>दयानन्द
सन्तराम
चरन सिंह
दयानन्द
दयानन्द</td><td>कृषि
गृहणी
गृहणी
मजदूर
डी.टी.सी. ड्राईवर(संविदा)</td><td>(i) विस्थापन के मामले मे रिहायसी मकान देने की व्यवस्था
(ii) भूमि का आवन्टन किया जाना
(iii) विकसित भूमि देने का प्रस्ताव
(iv) वार्षिकी/नौकरी प्रदान</td><td>लागू नही क्यो कि कोई भी प्रभावित नही है।
लागू नही क्यो कि यह सिचाई योजना नहीं है।
लागू नही, क्यों कि भूमि का अधिग्रहण शहरीकरण के लिये नही है।</td></tr>
</table>

				करना	सम्बंधित सरकार ये सुनिश्चित करें कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान की जायेगी (a) प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को इसी योजना के अन्तर्गत अथवा ऐसे किसी अन्य योजना के अन्तर्गत जैसा आवश्यकता है उसको नौकरी के लिये उचित प्रशिक्षण और कौशल निवास क्षेत्र में नौकरी के लिये व धनराशि अर्जित करने, जो कि किसी विशेष कानून के अन्तर्गत उस समय संचालित न्यूनतम निर्धारित मजदूरी से कम ना हो योग्य बनाना। (b) प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक बार 5 लाख रुपये का अनुदान (c) प्रभावित परिवार को 2000 रुपये महीने की दर से 20 साल तक वार्षिकी प्रदान करना (जो कि वार्षिकी मंहगाई भत्ता के अनुसार देय की जायेगी)
				(v) प्रभावित परिवार को जीवन निर्वाह हेतु 1 वर्ष तक निश्चित धन राशि सहायता प्रदान देना	लागू नही, क्यों कि प्रभावित परिवार का विस्थापन नही है।
				(vi)विस्तापित परिवार के पुनः स्थापना के लिये परिवहन के व्यय प्रदान करना	लागू नही, क्योंकि प्रभावित परिवार का विस्थापन नही है।
				(vii) पशुओ के लिये सथान या छोटी दुकान की लागत	लागू नही है।
				(viii) किसी कलाकार, छोटा व्यापारि व अन्य श्रेणी को एक बार अनुदान प्रदान करना	लागू नही, क्योंकि कोई भी खेती बाड़ी के अलावा व्यावसायिक, औद्योगिक, सस्थानीय ईमारत, प्रभावित क्षेत्र में अधिग्रहण नहीं की जा रही है ।
				(ix) मछली पकडने का अधिकार	
				(x) पुनः स्थापना के लिये एक बार अनुदान प्रदान करना	
				(xi) स्टाम्प डयूटी व पंजाकरण शुल्क, यदि कोई है।	लागू नही है यह सिचाई या हाइडल परियोजना नहीं

					है। प्रभावित परिवार को एक मुसत केवल रूपए 50,000/- दिए जायेंगे यह व्यय संबंधित विभाग (दिल्ली जल बोर्ड) देगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2017

DECLARATION BY SECRETARY, REVENUE DEPARTMENT

F. No. ADM/LAC/SW/2015/949-955.—Whereas it appears to the Government that a total of 4 Bigha 16 Biswa land is required in the Village **Kazipur** Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) **Najafgarh** District South West Delhi for public purpose, namely Waste Water Treatment Plant.

And whereas in exercise of powers conferred by Sub-Section (1) of Section 19 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification S.O No. 2740 dated the 21st October, 2014, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to declare that a piece of land measuring **4 Bigha 16 Biswa** is under acquisition for the above said project in the Village **Kazipur** Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) **Najafgarh** District South West Delhi whose detailed description is as following:—

Sl. No	Survey No.	Type of Title	Type of land	Area under acquisition (in Bigha-Biswa)	Name and address of person interested	Boundaries			
						N.	S.	E.	W.
1.	16//3 (4-16)	Private	Agriculture	4-16	1.Raj Singh S/o Dayanand 2.Bijender Singh S/o Dayanand 3.Chitarpal S/o Dayanand 4.Kavita D/o Dayanand 5.Anita, D/o Dayanand, All residents of Village Kazipur, District South West Delhi	Kh.No11//23	Kh.no16//8 Gaon Sabha	Kh.No 16//4	Road

Trees	
Variety: Mulberry	Number: 1
Neem	2

Structures	
Type: Kotha	Plinth area 10 feet x 10 feet

This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided u/s. 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to land acquisition is **NIL** For whom resettlement area has been identified, whose brief description is as following:-

Village **NIL** Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block (as applicable) **NIL** District South West Area **NIL** (in hectares).
Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector and LAC Branch (South-West District), Old Terminal Tax Building, Kapashera, New Delhi-110037, on any working day.
A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended as Appendix I.

Encl: as above

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

MANISHA SAXENA, Secy. (Revenue)-cum-Divisional Commissioner

Appendix I: Summary format for Rehabilitation and Resettlement Scheme (ELEMENTS OF REHABILITATION AND RESETTLEMENT ENTITLEMENTS FOR ALL THE AFFECTED FAMILIES)

1.	Name of the Project: Setting up of WWTP by Delhi Jal Board in Kazipur, South West District					
2.	Name/Names of person interested in the land and the nature of their respective claim for rehabilitation and resettlement: As in Sl. No.4					
3.	Time Limit for provisions of Rehabilitation and Resettlement entitlements given to the affected family: Within 18 Months from Date of Award u/s 23 of RFCTLARR ACT 2013					
4.	**Name of claimnants/ affected family**	**Age/DOB**	**Father's/ Husband Name**	**Occupation**	**Rehabilitation and resettlement entitlements**	**Remarks**
	Sh. Raj Singh	01/05/1962	Dayanand	Farmer	i. Provision of housing units in case of displacement	NA as there is no displacement for the affected family
	Anita	1961	Santram	Housewife	ii. Land to be allotted	NA as it is not a irrigation project.
	Kavita	1972	Charan Singh	Housewife	iii. Offer for Developed Land	NA as land is not being acquired for urbanization purpose
	Vijender	1977	Dayanand	Labourer	iv. Annuity/ Employment	The appropriate government shall ensure that the affected families are provided with following option:- a. Job may be given to atleast one member per affected family in the project or arrange for a job in such other project as may be required and providing suitable training and skill development in the required field or make provision for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other law for the time being enforced. b. One time grant of 5 lakh rupess per affected family. c. The affected family will be provided with an annuity payment of Rupees 2000 per month per family for twenty years (this will
	Chitarpal	11/07/1982	Dayanand	DTC Driver (Contract)		

						be adjusted for inflation annually).
					v. Subsistence grant for displaced family for period of 01 year	NA as there is no displacement for the affected family.
					vi. Transportation cost for displaced family	NA as there is no displacement for the affected family.
					vii. Cattle shed/Petty shops cost	NA
					viii. One time grant to artisan, small traders and certain others	NA as land being acquired is not a non-agriculture land/commercial/Industrial/ Institutional structure in the affected area.
					ix. Fishing rights	NA as it is not a irrigation or hydel project
					x. One time resettlement allowance	Affected family shall be given one time grant of 50000/- Rupees only.
					xi. Stamp duty and registration fees if any	To be borne by the requiring department/Body (Delhi Jal Board).

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.03 19:15:19 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.